प्रश्न सं. [क्र. 1359]

विधानसभा अतारांकित प्रश्न क्रमांक 1359 द्वारा माननीय विधायक श्री ललिता यादव

अत्यन्त महत्वपूर्ण
समय सीमा

मध्यप्रदेश शासन
पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग

क्रमांक 1083/22/वि-7/ग्रा.आ./2010 भोपाल, दिनांक 11/08/2010

प्रति,

मुख्य कार्यपालन अधिकारी,
जिला पंचायत (समस्त),
मध्यप्रदेश ।

विषय : जिला स्तर पर आरक्षित 3 प्रतिशत इंदिरा आवास (कुटीर) स्वीकृत किये जाने बावत् ।

--00--

इंदिरा आवास योजनान्तर्गत जिलास्तर पर आरक्षित 3 प्रतिशत लक्ष्य की स्वीकृति के संबंध में पूर्व में जारी समस्त निर्देशों को अधिक्रमित करते हुए निम्नानुसार कार्रवाई का निर्णय लिया गया है :-

1. जिला स्तर पर इंदिरा आवास योजनान्तर्गत प्राप्त कुल लक्ष्य की 3 प्रतिशत आवास संख्या जिला स्तर पर सुरक्षित रहेगी। कतिपय कारणों से कुछ ऐसे हितग्राही जिन्हें आवास की पात्रता एवं नितांत आवश्यकता होती है, चयन प्रक्रिया से छूट जाते हैं, परन्तु लक्ष्यों के ग्राम पंचायतों में बँट जाने से उन्हें आवास सुविधा नहीं मिल पाती है। यह आरक्षण उनके लिए है।

2. उपरोक्तानुसार आरक्षित कोटे से महिलाओं को जो विधवा, अविवाहिता, परित्यक्ता, परिवार की प्रमुख महिला हो अथवा युद्ध में शहीद हुए सैनिक/अर्द्ध सैनिक बल के सदस्यों की विधवा या उनके संबंधियों, अथवा भूतपूर्व सैनिकों जो आवासहीन हो, को आवास उपलब्ध कराये जावें। किसी प्राकृतिक विपदा, अत्याचार के शिकार परिवार जिनके मकान इत्यादि नष्ट हो गए हो या हाल ही में विमुक्त बंधुआ मजदूरों एवं विकलांग प्रमुख वाले परिवारों के लिये भी इन कुटीरों का आवंटन किया जा सकेगा।

3. उक्त श्रेणियों के अलावा यह सुविधा किसी और को उपलब्ध नहीं होगी। योजना की अन्य शर्तें इन हितग्राहियों पर सामान्य रूप से लागू होगी।

4. इंदिरा आवास योजनान्तर्गत जिलास्तर पर 3 प्रतिशत आरक्षित लक्ष्य की स्वीकृति निम्नानुसार गठित समिति द्वारा की जाएगी :-

1. जिला पंचायत अध्यक्ष – अध्यक्ष
2. कलेक्टर – सदस्य
3. मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत – सदस्य सचिव

5. मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत प्राप्त आवेदन पत्रों का परीक्षण माह अक्टूबर के अन्त तक पूर्ण कर प्रस्ताव समिति के समक्ष प्रस्तुत करेंगे। इन आवेदन पत्रों में मान. मुख्यमंत्रीजी एवं मान. विभागीय मंत्रीजी को प्राप्त होने वाले आवेदन जो कि आवश्यक कार्यवाही हेतु संबंधित जिलों को भेजे जाते है, को भी अनिवार्य रूप से परीक्षण कर

Letter

सम्मिलित किया जावे। ऐसे आवेदन जो अक्टूबर माह के उपरान्त प्राप्त होंगे उन्हें अगले वित्तीय वर्ष में प्राप्त होने वाले लक्ष्य के 3 प्रतिशत से स्वीकृति हेतु विचार में लिया जाये।

6. स्वीकृति हेतु हितग्राहियों के चयन हेतु समिति की बैठक विधिवत आहूत की जाएगी। अपरिहार्य परिस्थितिवश अध्यक्ष जिला पंचायत समिति की आयोजित बैठक में उपस्थित नहीं हो पाते हैं तो एक बार बैठक स्थगित की जाकर अगली तिथि निश्चित की जाएगी। यदि अगली तिथि पर आयोजित बैठक में भी अध्यक्ष जिला पंचायत उपस्थित नहीं होते हैं तब इस बैठक में कलेक्टर की अध्यक्षता में हितग्राही चयन के संबंध में निर्णय लिया जा सकेगा।

7. समिति द्वारा चयनित हितग्राहियों की सूची जिला पंचायत की सामान्य सभा की आगामी बैठक में केवल सूचनार्थ रखी जाएगी।

8. प्रतिवर्ष माह अक्टूबर के अन्त तक उपरोक्तानुसार हितग्राहियों के चयन उपरांत स्वीकृति जारी करने की कार्रवाई अनिवार्य रूप से सुनिश्चित की जाएगी। ताकि हितग्राहियों द्वारा अपने आवास चालू वित्तीय वर्ष में ही पूर्ण किए जा सकें और भारत सरकार से राशि की अगली किश्त प्राप्त करने में विलंब न हो।

9. यदि इस तरह आरक्षित 3 प्रतिशत की सीमा में कोई/पर्याप्त संख्या में आवेदनों पर निर्णय नहीं होता है तो संपूर्ण 3 प्रतिशत के अंतर्गत बची हुई संख्या के आवासों को अन्य सामान्य (अर्थात 97 प्रतिशत) कुटीरों के साथ जोड़ने की कार्रवाई तत्काल पूर्ण कर ली जावे। किसी भी तरह का विलंब नहीं होना सुनिश्चित करने की जिम्मेदारी मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत की होगी।

(अजय तिर्की)
सचिव
म.प्र.शासन
पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग

भोपाल, दिनांक 16/08/2010

पृ.क्रमांक 11084/22/वि–7/ग्रा.आ./2010

प्रतिलिपि :–

1. निज सहायक, मान. मंत्री सामाजिक न्याय, पंचायत और ग्रामीण विकास विभाग।
2. निज सहायक, मान. राज्य मंत्री पंचायत और ग्रामीण विकास विभाग।
3. मान. अध्यक्ष, जिला पंचायत (समस्त), मध्यप्रदेश की ओर सूचनार्थ।
4. मान. अध्यक्ष, जनपद पंचायत (समस्त), मध्यप्रदेश की ओर सूचनार्थ।
5. कमिश्नर, संभाग (समस्त), मध्यप्रदेश की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।
6. कलेक्टर, (समस्त), मध्यप्रदेश की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।

सचिव
म.प्र.शासन
पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग

Letter